(91)

म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. ~~निगरानी / छतरपुर / भूराजस्व / 2017~~
I/ निगरानी/ टीकमगढ़/ भू.रा/ 2017/ 6177

जगदीश श्रीवास्तव, अभि0
18-12-17
22-12-17

18-12-17

Hold
22/12

श्रीवास्तव
9८/92/96

1 मु0संध्या वेवा अशोक साहू
2 संजयकुमार पुत्र श्री अशोक कुमार साहू निवासी सिविल लाइंस झॉसी उ0प्र0हाल निवासी ग्राम वनगॉय हार, तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 ......प्रार्थीगण

बनाम

1 इंद्रपाल तनय विलायतीदास मिजल निवासी दिल्ली हाल निवासी ग्राम वनगांयहार तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ द्धारा मुख्त्यारआम अरविंद यादव, पुत्र श्री भवानीसिंह यादव, निवासी मॉ भगवती मार्केट झॉसी उ0प्र0
2 ओमप्रकाश पुत्र लखनलाल अग्रवाल, निवासी झॉसी उ0प्र0
3 रामेश्वर पुत्र श्री शिवप्रसाद काछी
4 दिली पुत्र श्री गोवर्धन
5 अनूप पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश
6 विनयकुमार नाबा पुत्र श्री महेशनारायण गुप्ता वली संरक्षण मॉ शीलादेवी पत्नी श्री महेशनारायण गुप्ता
7 वेदप्रकाश पुत्र श्री भगवानदास साहू
8 शीलादेवी पत्नी श्री महेशनारायण गुप्ता समस्त निवासीगण झॉसी उ0प्र0
9 अब्दुल हमीद खॉ पुत्र श्री चॉद खॉ निवासी खेलार झॉसी उ0प्र0
10 मु0लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री वेदप्रकाश साहू, निवासी 1067 सिविल लाइंस झॉसी ......प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग के प्रकरण कमांक 315/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांकी 14.11.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एंव अधित्य की भूमि ग्राम वनगांयहार तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ में स्थित सर्वे कमांक 8/10, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/20, 8/21, 8/22 प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य की भूमि होकर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कय दिनांक से ही मौके पर अधिपत्यधारी होकर उक्त भूमि का

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– एक / निग0 / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 6177 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२९/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 315/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.11.17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि बाह्य अपील की गई जो उन्होंने निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को निरस्त किया है । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए यह पाया है कि स्थल निरीक्षण दिनांक 27.7.13 की जानकारी आवेदकों को प्रारंभ से थी तहसीलदार द्वारा इश्तहार का प्रकाशन कराया गया है । उक्त आधार पर उनके अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत ठहराते हुए अपील को निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित है, जिसमें प्रथमदृष्टया ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण निगरानी को ग्राह्य किया जाये । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	